

क्रमांक : 10-10-2019
 तिथि : 27/12/2019
 पृष्ठ : 8

वहाँ नाम न ही काट दी जाए।
 उक्त नामों में उक्त मूल्य का घटी-घटी निधारण करना संभव न ही तो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में नाममा मूल्य बतलाया जाए।
 इसमें अत्युक्तमूल्य परदे देते भी शामिल है।
 टिप्पणी -- मध्यप्रदेश शासकीय स्तरीय (आरएन) नियम 1969 के नियम 18 (3) के अन्तर्गत प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के मूल्य बतलाने से यह अपेक्षा है कि वह सेवा में प्रवेश करने के तत्पश्चात् ही निधारण में लिखी या उसके अग्रतः नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति के खर्च हैं।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
उक्त नाम, उक्त मूल्य, नाम, निवास, नाम का नाम, निवास, स्थिति लिखत है।	नाम तथा अन्य मूल्य	श्रेणी	वर्तमान मूल्य	श्रेणी बदलने के नाम पर न ही तो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में नाममा मूल्य बतलाया जाए।	उक्त मूल्य के संदर्भ में नाममा मूल्य बतलाया जाए।	वर्तमान मूल्य	वर्तमान मूल्य
<p>उक्त नाम, उक्त मूल्य, नाम, निवास, नाम का नाम, निवास, स्थिति लिखत है।</p> <p>उक्त नाम, उक्त मूल्य, नाम, निवास, नाम का नाम, निवास, स्थिति लिखत है।</p>	नाम तथा अन्य मूल्य	श्रेणी	वर्तमान मूल्य	श्रेणी बदलने के नाम पर न ही तो वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में नाममा मूल्य बतलाया जाए।	उक्त मूल्य के संदर्भ में नाममा मूल्य बतलाया जाए।	वर्तमान मूल्य	वर्तमान मूल्य

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूर्वा) नाम तथा उक्त सेवा का नाम, निवास, घर का पता, निवास, नाम का नाम, निवास, स्थिति लिखत है।
2. वर्तमान मूल्य
3. वर्तमान मूल्य

दिनांक